प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना : एक समीक्षात्मक अध्ययन

श्रीमती शक्ति जैन
प्राध्यापक अर्थशास्त्र
शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय, सागर (म.प्र.)

गांवों को आर्थिक रूप से स्वतंत्र और स्वाबलम्बी बनाने का जो स्वप्न राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देखा वर्तमान सरकार उस स्वप्न को साकार करने की ओर बढ़ती नजर आ रही है। महात्मा गांधी का कथन "भारत आत्मा गांवों में बसती है गांव भारतीय अर्थव्यवस्था का मानक आधार होना चाहिए" लेकिन स्वतंत्रता के बाद के विकास की उपेक्षा की गयी, किसान उपेक्षित हो गया, युवा पीढ़ी खेती से विमुख हो गयी। विकास की दृष्टि भीषण उपेक्षा के बावजूद आज भी देश की सत्तर प्रतिशत आबादी गांव केन्द्रित है कृषि व छोटे कारोबार में हुई है। लगभग 55 प्रतिशत श्रमशक्ति के जीवन यापन का जरिया कृषि है तथा राष्ट्रीय जीडीपी में इनका 14 प्रति योगदान है इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पिछले तीन वर्षो के दौरान कृषि क्षेत्र को उच्च प्राथमि दी है। सरकार का फोकस गांवों के विकास को रतार देने का है। गांव का विकास अर्थात कृषि का विकास करना

भारत में व पूरे विश्व में ग्लोबल वार्मिंग के कारण कभी सूखा तो कभी बाढ़ आती है और इस वजह हमारे देश के किसानों को बेहद नुकसान होता है बहुत से किसान आत्म हत्यायें करते हैं अतः किसानों के आत्म रोकने, नुकसान की भरपाई करने के उद्धेश्य से सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रारंभ की गयी है। त सरकार इसकी किश्तें आसानी से वहन कर सके।

सरकार की किसानों के हित के लिए चल रही कई योजनाओं में से एक महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी यो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। यह योजना किसानों के लिए संजीवनी से कम नहीं है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 13 जनवरी 2016 को देश के किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का एक बड़ा तोहफा दिया। इस यो में बहुत कम प्रीमियम पर किसानों की फसल का बीमा किया जाता है। यह योजना उन किसानों पर प्रीमियम वोझ कम करने में मदद करेगी जो अपनी खेती के लिए ऋण लेते हैं खराब मौसम से हुए नुकसान में यह योजना कि को राहत प्रदान करेगी इस योजना के अन्तर्गत फसल के अनुसार किसान द्वारा देय प्रीमियम राशि कम कर दी है जो निम्नानुसार है :-

क्र.	फसल	किसान द्वारा देय अधिकतम बीमा प्रभार (बीमित राशि का प्रतिशत)
1	खरीफ	2.0 प्रतिशत
2	रवी	1.5 प्रतिशत
3	वार्षिक वाणिज्यिक एवं वागवानी फसलें	5 प्रतिशत

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के महत्वपूर्ण बिन्दु :-

- इस योजना की मुख्य बात यह है कि इस योजना में खाद्य फसलें, तिलहन, वार्षिक, व्यवसायिक या साग सब्जी का बीमा होता है जबकि पहले चल रही बीमा योजना में कुछ ही फसलें और तिलहन का बीमा होता था।
- इस योजना में खरीफ की फसल में 2 प्रतिशत प्रीमियम, रबी की फसल में 1.5 प्रतिशत तथा वार्षिक वाणिज्यिक एवं वागवानी फसलों में 5 प्रतिशत प्रीमियम रखा गया है।
- इस योजना में 33 प्रतिशत फसल नष्ट होने पर फसल का बीमा मिलता है जबकि पहले चल रही बीमा योजना में किसानों की 50 प्रतिशत फसल नष्ट होने पर मुआवजा मिलता था।
- इस योजना में बीमित किसान यदि प्राकृतिक आपदा के कारण बोनी नहीं कर पाता है तो उस किसान को भी दावा राशि मिलेगी।
- ओला, जल भराव और लैण्ड स्लाइड जैसी आपदाओं को स्थानीय आपदा माना जायेगा और इस योजना में इसे स्थानीय हानि मानकर प्रभावित किसानों का सर्वे कर उन्हें दावा राशि प्रदान की जायेगी।
- पोस्ट हार्वेस्ट नुकसान भी इस योजना में शामिल है अर्थात् फसल कटने के 14 दिन तक यदि फसल खेत में है और उस दौरान कोई आपदा आ जाती है तो किसानों को दावा राशि प्राप्त हो सकेगी।
- योजना में टेक्नालॉजी का उपयोग किया जायेगा जिससे कि फसल कटाई व नुकसान का आकलन शीघ्र व सही हो सके और किसानों को दावा राशि त्वरित रूप से मिल सके। किसान मोबाइल के माध्यम से अपनी फसल के नुकसान के बारे में आकलन कर बता सके।
- सरकार सब्सिडी पर कोई ऊपरी सीमा नहीं है यदि बचा हुआ प्रीमियम 90 प्रतिशत है तो सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। शेष प्रीमियम बीमा कम्पनियों को सरकार द्वारा दिया जायेगा ये राज्य तथा केन्द्र सरकार में बराबर-बराबर बांटा जायेगा।
- भूमिहीन व लीज पर खेती करने वाले किसानों को इसमें शामिल किया जायेगा।
- यह योजना एक राष्ट्र एक योजना विषय पर आधारित है अर्थात देश में एक जैसी होगी और इसका प्रीमियम भी समान होगा। बड़े राज्यों में दो बीमा कंपनी योजना में शामिल की जायेगी।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के उद्धेश्य :-

- प्राकृतिक आपदाओं, कीट और रोगों के परिणामस्वरूप अधिसूचित फसल में से किसी को विफलता की स्थिति मे बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- कृषि में किसानों की सतत प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए उनकी आय को स्थायित्व देना।
- किसानों को कृषि में नवाचार एवं आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।
- कृषि क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को सुनिश्चित करना।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की वर्तमान स्थिति :-

कृषि मंत्रालय ने अगले तीन साल में देश के 14 करोड़ किसानों में से 50 प्रतिशत किसानों को इस के दायरे में लाने का लक्ष्य रखा। प्रथम साल 2016-17 में 30 प्रतिशत किसानों को नई फसल बीमा योजना में किया जायेगा। दूसरे साल में यह प्रतिशत बढ़ाकर 40 प्रतिशत किया जायेगा तथा अंतिम साल में 50 प्रतिशत कि को इसमें शामिल किया जायेगा। वर्तमान में मात्र 23 प्रतिशत किसान फसल बीमा कराते हैं तथा प्रीमियम दर पर का प्रावधान था जिससे किसानों को कम से कम दावे का भुगतान होता था लेकिन इस योजना मे यह हटा दिया तथा पहले की बीमा योजना में उसके प्राकृतिक आपदा होने पर बीमा कंपनियां किसानों को पिछले दस साल की व आय का औसत आकलन करती है इसके आधार पर बीमा क्लेम तय होता था· किसानों को पूरा क्लेम भी मिल पाता था। इस बीमा योजना में किसानों को बिना किसी कटौती के पूरी बीमित राशि का भुगतान मिलेगा

किसानों को मानसून के प्रभाव से बचाने, आत्महत्या कर रहे किसानों की जीवन सुरक्षा के लिए तथा कि की निरंतर आय सुनिश्चित करने के उद्धेश्य से सरकार ने 5500 करोड़ रूपये की राशि के प्रावधान के साथ प्रधान फसल बीमा योजना की शुरूआत की है इस योजना के तहत केन्द्र व राज्य सरकार मिलकर प्रीमियम की 90 प्रति राशि का वहन करेगी। इस खरीफ फसल वर्ष 2016-17 में 21 राज्यों में 366.64 लाख किसानों को इसके दायरे लाया गया है। इस योजना की वर्तमान स्थिति के अन्तर्गत 2016-17 में सकल कृषि योग्य फसल क्षेत्र के 30 प्रति हिस्से को कवर किया गया है जबकि 2015-16 में यह मात्र 23 प्रतिशत था। वर्ष 2016-17 के दौरान कुल 74 क किसानों को कवर किया गया है जिसमें गैर ऋणी किसानों की संख्या मात्र 1.35 करोड़ है। एक वर्ष में किसानों कुल कवरेज में 0.89 करोड़ की वृद्धि हुई है जो पिछले वर्ष की तुलना में 18.32 प्रतिशत और गैर ऋणी किसानों कवरेज में 123.50 प्रतिशत वृद्धि प्रदर्शित करता है वर्ष 2016-17 के दौरान कुल बीमित क्षेत्र 11 लाख हेक्टेयर कवर किया गया है। एक वर्ष में बीमित क्षेत्र के कुल कवरेज में 56.56 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। जो पि वर्ष की तुलना में 10.78 प्रतिशत बृद्धि प्रदर्शित करता है। लगभग 22 राज्यों ने इसे नोटिफाइड कर इस योजना शुरूआत की है। यह योजना का प्रारम्भ मध्यप्रदेश में भी हो गया है अभी तक 1880 करोड़ रूपये का बीमा द राशि का भुगतान हुआ है। इसी तरह 2016-17 के दौरान आन्ध्रप्रदेश में 11 करोड़ रूपये, छत्तीसगढ़ में 0.09 क रूपये, हरियाणा में 4.04 करोड़ रूपये, महाराष्ट्र में 1.55 करोड़ रूपये, राजस्थान में 0.32 करोड़ रूपये और उत्तर प्र में 0.80 करोड़ रूपये के दावों का भुगतान किया गया।

इस तरह किसानों की समृद्धि हेतु सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण योजनायें चल रही हैं प्रधानमंत्री फसल बी योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, कृषि वानिकी नीमलेपित यूरिया, राष्ट्रीय कृषि बाजार, किसानों के लिए मोबाइल एप की शुरूआत, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान वृद्धि, कृषि विज्ञान केन्द्र, मेरा गांव, मेरा गौरव तथा एक और नई योजना, भावांतर भुगतान योजना आदि है। इ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए अमृत योजना है। यह योजना किसानों के लिए संजीवनी से कम न है। आवश्यकता है कि किसान भाई इस योजना का पूरा लाभ उठायें, इतने कम प्रीमियम पर इस योजना के अन्त

फसल का बीमा किया जाता है अतः किसानों का बीमा करवाकर अपनी सुरक्षा, फसल की सुरक्षा, अपनी आय की सुनिश्चितता करना आवश्यक है। किसानों को इस योजना को पूर्णतः समझना होगा उन्हें इस योजना व उद्धेश्य व लाभ की पूर्ण जानकारी होना आवश्यक है। किसानों की आत्महत्या रोकने के लिए यह योजना महत्वपूर्ण कार्य कर सकती है। देश में किसान बीमा करवाने की जरूरत नहीं समझते हैं बीमा पर विश्वास नहीं करते हैं जानकारी नहीं रखते हैं अतः आवश्यकता है किसानों को इस सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी मिले। इस सम्बन्ध में एसोचेम की रिपोर्ट बताती है, एसोचैम की रिपोर्ट के अनुसार 80 प्रतिशत किसान मौसम के अच्छे या बुरे पर खेतीबाड़ी करते है प्राकृतिक आपदा जैसे बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि, बाढ़, सूखा आदि पड़ने पर उन्हें फसल बीमा का कोई लाभ नहीं मिलता है। बीमा नहीं कराने वाले 46 प्रतिशत किसान फसल बीमा की जानकारी रखते हैं परन्तु उनकी उसमें कोई रूचि नहीं है तथा 24 प्रतिशत किसानों को फसल बीमा की जानकारी नहीं है जबकि 11 प्रतिशत बीमा का प्रीमियम देने में असमर्थता जताते है।

अतः रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि किसान बीमा करवाने में रूचि व जानकारी नहीं रखते हैं। अतः आवश्यक है कि किसानों में बीमा योजना के उद्धेश्य व लाभ की स्पष्ट जानकारी मिल जाये व अधिकतम किसान इस योजना का लाभ उठा सकें।

स्त्रोत

1. कुरूक्षेत्र पत्रिका - फरवरी 2016
2. कुरूक्षेत्र पत्रिका - जून 2016
3. कुरूक्षेत्र पत्रिका - नवम्बर 2017
4. Pradhanmantri yougani.com.
5. Perform India performinalia.com.